49

न्यायालय श्री मान राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर मध्यप्रदेश (केम्प उज्जैन म.प्र.)

प्र.क्र. /निगरानी R-4354-I/13

1. सजनसिंह पिता हिन्दु सिंह जी राजपूत
2. तकेसिंह पिता हिन्दुसिंह जी राजपूत

उक्त दोनो जाति राजपूत निवासी ग्राम काकड़ी तहसील एवं जिला शाजापुर म.प्र. ....निगरानीकर्तागण

विरूद्ध

1. विक्रमसिंह पिता बजेसिंह राजपूत
2. मनोहरसिंह पिता बजेसिंह राजपूत
3. सुरेशसिंह पिता बजेसिंह जाति राजपूत
4. सौदानसिंह पिता भागीरथसिंह राजपूत
5. कुमेरसिंह पिता भागीरथसिंह राजपूत
6. औंकारसिंह पिता भागीरथसिंह राजपूत
7. रामसिंह पिता भागीरथसिंह राजपूत
8. रामकुवंरबाई पिता भागीरथसिंह राजपूत
9. चतरबाई विधवा भागीरथसिंह राजपूत
10. दुलेसिंह पिता भागीरथसिंह राजपूत
11. कालूसिंह पिता बजेसिंह जाति राजपूत
12. सवसिंह पिता बजेसिंह जाति राजपूत
13. जगदीश पिता बजेसिंह जाति राजपूत
14. फुन्दाबाई पिता जगदीश जाति राजपूत
15. कृष्णाबाई पिता जगदीश जाति राजपूत
16. भवानीसिंह पिता नाथा जाति राजपूत
17. तेजूबाई पिता बापूसिंह जाति राजपूत
18. सीताबाई विधवा तेजूसिंह राजपुत
19. सवसिंह पिता कालूसिंह जाति राजपूत
20. धीरपसिंह पिता कालूसिंह राजपूत
21. राजेन्द्रसिंह पिता कालूसिंह राजपूत
22. जितेन्द्रसिंह पिता कालूसिंह राजपूत
23. प्रकाशबाई पिता कालूसिंह राजपूत
24. प्रेमबाई पिता कालूसिंह जाति राजपूत
25. पवनबाई पिता कालूसिंह जाति राजपूत
26. बहादुरसिंह पिता घीसूसिंह राजपूत
27. बलरामसिंह पिता घीसूसिंह राजपूत
28. प्रहलादसिंह पिता पोपसिंह राजपूत
29. मेहरबानसिंह पिता सोदानसिंह राजपूत

उपरोक्त समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम काकड़ी तहसील व जिला शाजपुर

30. मांगीलाल पिता रूग्गा जाति बलाई
31. मदन पिता रूग्गा जाति बलाई
32. सिद्दू पिता रूग्गा जाति बलाई
33. नग्गा तिपा रूग्गा जाति बलाई निवासी गण ग्राम काकड़ी तहसील एवं जिला जिला शाजापुर ....विपक्षीगण

380
01/11/2013

30.11.13

सजनसिंह

नि. अ. तकसिंह

निगरानी अर्न्तगत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 26..08.2013 प्रकरण क्रमांक 5.अ. 27/2010-11 सजनसिंह बनाम भवानीसिंह अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाजापुर जिला शाजापुर म.प्र.

श्रीमान जी,

उपरोक्त प्रकरण में निगरानीकर्तागण की ओर से अवधि के अन्दर निगरानी निम्नानुसार सादर प्रस्तुत है।

||संक्षिप्त विवरण||

1. यह कि अधिनस्थ तहसील न्यायालय में संशोधित बटांकन करके बठवारा फर्द के लिए बटवारा प्रकरण कई पेशियों से चल रहा था। दिनांक 22.01.2013 को बटवारा फर्द पर आपत्ति करने पर माननीय न्यायालय ने विपक्षी गणों को दीवानीवाद पेश कर स्वत्व का निराकरण करा कर लाने हेतु म.प्र.भू.रा.संहिता की धारा 178(3) के तहत तीन माह का समय विधि अनुसार दिया और पेशी दिनांक 29.04.2013 नियत की गई, परन्तु विपक्षीगण ने तीन माह में स्वत्व का निराकरण नही करवाया तभी से पेशी निरन्तर स्वत्व के मान से संशोधित बटवारा फर्द के लिए चलता रहा है।

2. यह कि दिनांक 12.08.2013 को विपक्षी भवानीसिंह ने अपने हस्ताक्षर कर एक आवेदन प्रस्तुत किया कि दीवानी अदालत में वाद पेश किया गया है। इसलिए माननीय न्यायालय के बटवारे की कार्यवाही दीवानी अदालत के निर्णय तक स्थगित की जाये, आवेदन पत्र की एक प्रति प्रार्थीगण के अभिभाषक को दी गई। जिसपर प्रार्थीगण के अभिभाषक श्री संजय व्यास ने जबाब देना और उसके बाद बहस करने का निवेदन किया। जिसके बाद अधिनस्थ न्यायालय में लिपिक सुश्री रेखा जैन ने पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने का हवाला देकर प्रकरण यथावत रखते हुए प्रकरण में पेशी दिनांक 19.08.2013 नियत की।

4. यह कि पेशी दिनांक 19.08.2013 को लिपिक महोदिया सुश्री रेखा जैन ने बतलाया कि आज साहब नहीं है आगामी पेशी पर जबाब पेश कर देना और पेशी दिनांक 09.09.2013 प्रोसिडिंग लिखे बिना, हस्ताक्षर करवाकर दे दी। जब प्रार्थी एवं विपक्षीगण उनके अभिभाषक के सॉथ दिनांक 09.09.2013 को गए तो मौखिक रूप से बतलाया कि मैरी जगह अन्य लिपिक की नियुक्ति हो गई है। बहुत सारा काम है मैं अपना चार्ज दूसरे लिपिक को दे रही हूँ आज भी साहब नहीं बैठेगें और आज की सभी पेशियो में पेशी दिनांक 30.09.2013 रहेगी। जब उभय पक्ष अपने वकील साहब के सॉथ पेशी दिनांक 30.09.2013 को पहुँचे तो नऐ लिपिक श्री परिहार से अधिनस्थ न्यायालय के न्यायालयीन समय 3 बजे पता पड़ा कि पेशी दिनांक 19.08.2013 के बाद बिना जानकारी दिये पेशी 26.08.2013 नियत की गई एवं उसी दिन बिना जबाब लिये, बिना बहस सुने बिना, प्रोसिडिंग पर दीवानी वाद प्रचलन होने के आधार पर दीवानी वाद के निरकरण तक अधिनस्थ न्यायालय की कार्यवाही स्थिगित की गई है और प्रकरण दायरे से कम किया है। जबकि विधि अनुसार दीवानी न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त नहीं होने पर बटवारे की कार्यवाही निरन्तर जारी रहती है।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर (49)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4354-एक/13 **जिला** - शाजापुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला शाजापुर के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	